



# The Bhavans' Prominent

GLOBAL EXCELLENCE, INDIAN FRAGRANCE

23.1.201.

प्रति,  
श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय  
इन्दौर जिला इन्दौर म. प्र.

विषय:- म. प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा RTE Act. 2009 से अल्प संख्यक (द भवंस प्रॉमिनेन्ट) स्कूल को Exemption विषयक।


द भवंस प्रॉमिनेन्ट स्कूल एक गैर वित्तीय सहायता प्राप्त स्कूल होकर, भारत शासन के नेशनल कमीशन फॉर मायनॉरिटी एज्युकेशनल इंस्टिटयुशन्स द्वारा declared and recognized अल्पसंख्यक स्कूल है। जिसमें उर्दू एवं अरबी की नियमित पढ़ाई भी हो रही है।

संस्था ने म. प्र. उच्च न्यायालय प्रिंसिपल सीट एट जबलपुर के समक्ष Right of Children to Free and Compulsory Education Act. 2009 के विरुद्ध रिट पिटिशन नंबर 11434 दायर की थी।

माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी अल्प संख्यक संस्था के पक्ष में फैसला देते हुए उक्त RTE Act. 2009 को हम पर लागू नहीं माना है।

फैसले की प्रमाणित सत्य छाया प्रति आप को प्रेषित है।

कृपया उचित मदद कर अनुग्रहीन करें। हम सदैव शिक्षा विभाग एवं स्थानीय जिला शासन के साथ हैं।



भवदीय

समीर हुसैन भीर  
अध्यक्ष

President

The Bhavans' Prominent Educational Soc  
INDORE (M. P.)

म. प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के फैसले की प्रमाणित सत्य छाया प्रति  
भारत शासन नेशनल कमीशन फॉर मायनॉरिटी एज्युकेशनल इंस्टिटयुशन्स के प्रमाण  
पत्र की छाया प्रति

प्रतिलिपि दू -  
संकुल इंचार्ज  
खजराना  
इन्दौर

Campus : Near Bombay Hospital, Piplia Kumar, Indore -1 Ph.: 3291931-32-33  
City Office : Indraprastha Tower, 6, M.G. Road, Indore-1 Ph.: 4078786, 4078602  
e-mail : info@bhavansprominent.com Website: www.bhavansprominent.com

*Banyan*  
Dr. Subrata Banerjee  
Principal  
The Bhavans' Prominent International  
INDORE (M.P.)